झारखंड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची
''प्रेस विज्ञप्ति''
निविदा सूचना

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के कार्यालय उपयोग हेतु **गोदरेज कंपनी के अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता** से विभिन्न उपस्करों के क्रय हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इससे संबंधित विस्तृत निविदा विवरणी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर जारी कर दिया गया है।

इच्छुक निविदादाता आयोग के वेबसाईट से संबंधित निविदा संबधी सूचना प्राप्त कर **दिनांक–06.02.2017** के **सायं–05.00** बजे तक मुहरबन्द निविदा उप सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची–834001 के पते पर हाथों–हाथ/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा को **दिनांक–07.02.2017** के **अपराह्न 03:30** बजे उप सचिव, झारखंड लोक सेवा आयोग के कक्ष में क्रय सह निविदा समिति के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग लेंगे। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. यह संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

झारखंड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

''निविदा सूचना''

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के कार्यालय उपयोग हेतु **गोदरेज कंपनी के अधिकृत विक्रेता/आपूर्तिकर्ता** से विभिन्न उपस्करों के क्रय हेतु मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र0सं0	सामग्रियों का नाम	मॉडल	मात्रा	कम्पनी
1.	Table	Arrive Table	01	Godrej
2.	Table	Maestro Table	02	Godrej
3.	Table	Impress Table	02	Godrej
4.	Table	Ascent	04	Godrej
5.	Back Unit	Impress Back Unit	03	Godrej
6.	Back Unit	Maestro Back Unit	02	Godrej
7.	Back Unit	Glass door	04	Godrej
8.	Chair	Halo Very high back	01	Godrej
9.	Chair	Halo high Back	02	Godrej
10.	Chair	Leoma high back	02	Godrej
11.	Visitor Chair	Kareena Visitor	10	Godrej
12.	Visitor Chair	Leoma Visitor	20	Godrej

निविदा **दिनांक–06.02.2017** के **अपराह्न–05.00** बजे तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में प्राप्त की जायेगी। इसके बाद प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। **दिनांक–07.02.2017** को **अपराह्न–03.30** बजे उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के कार्यालय कक्ष में निविदा–सह–क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। उक्त तिथि को निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा–सह–क्रय समिति की बैठक में भाग लेंगे।

(क) तकनीकी निविदा में निम्नलिखित कागजात समर्पित करना होगा :–

i. **''झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची''** के नाम से रू0 10,000/– (दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट ''अरनेस्ट मनी'' (अग्रधन) के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा।

ii. आयकर पैन संख्या का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iii. अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

iv. निविदा के साथ वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, आयकर एवं बिक्री कर/VAT/TIN/TAN (जो अपेक्षित हो) संबंधित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

कृ0पृ0उ0

v. निविदादाता सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किये गये हो एवं सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा काली सूची (Black list) में नहीं शामिल किये गये हों इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

vi. निविदादाता को निविदा के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता/सत्यता के संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में कोई शर्त के अधीन आच्छादित (Covered) निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ख) वित्तीय निविदा :–

वित्तीय निविदा में केवल उपस्करों का उपरोक्त विशिष्टता के तहत् सभी कर सहित दर उल्लिखित करना अनिवार्य होगा।

निविदा की शर्तें :–

i. निविदादाताओं को दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड समर्पित करना आवश्यक है। सीलबंद लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "तकनीकी बीड/वित्तीय बीड" अवश्य लिखें। अग्रधन की राशि तकनीकी बीड के साथ संलग्न किया जाएगा।

ii. निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा को दो सीलबंद लिफाफा, फिर दोनों को एक लिफाफे में भरकर सीलबंद करते हुए स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/हाथों–हाथ उप सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची कार्यालय में जमा करना होगा।

iii. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में **रूपये 10,000/– (दस हजार)** मात्र (Refundable) का बैंक ड्राफ्ट (Any Nationalized Bank) **"झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची"** के नाम से देय तथा राँची में भुगतेय हो, जमा करना आवश्यक है।

iv. तकनीकी बीड के सफल होने पर ही वित्तीय बीड खोला जाएगा।

v. सफल निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के 10 (दस) दिनों के अंदर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी।

vi. निविदादाता को अंकित दर स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कटिंग एवं ओभरराईटिंग मान्य नहीं होगा।

vii. निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों की मुद्रित प्रति (Print out) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

viii. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अगर गलत पायी जाती है तो किसी भी समय अनुबंध/एकरारनामा रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ix. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का पैरवी/अनुशंसा निविदा के अस्वीकरण का कारण हो सकता है।

x. आवश्यकतानुसार उपर्युक्त सामग्रियों की संख्या घटायी–बढ़ायी जा सकती है।

xi. उत्पन्न किसी भी विवाद निपटारा का न्यायिक क्षेत्र राँची सिविल कोर्ट होगा।

xii. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।